दिनांक 01.09.2014 को राजेश कुमार, भा०प्र०से०, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने संबंधी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम समाहर्त्ता, पूर्णियाँ द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया तथा स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बैठक में अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ द्वारा विभिन्न विभागों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। तदोपरान्त बिन्दुवार समीक्षा की गयी।

1. **<u>महादलित टोला हेतु सामुदायिक भवन–सह–शेड निर्माण</u>** :– जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि जिला अन्तर्गत महादलित टोलों की संख्या 1413 है तथा क्रमिक रूप से सभी महादलित टोला में एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना है। एक सामुदायिक भवन हेतु 3 डी0 जमीन की आवश्यकता है। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में 26 महादलित टोलों में सामुदायिक भवन–सह–शेड का निर्माण किया गया। 2012–13 में 28 महादलित टोलों में सामुदायिक भवन–सह–शेड का निर्माण किया गया। 2013–14 में 56 महादलित टोलों में सामुदायिक भवन–सह–शेड का निर्माण प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2014–15 का लक्ष्य विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है।

सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि कम से कम 10 महादलित टोला में सामुदायिक भवन–सह–शेड निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर खाता, खेसरा, रकवा, चौहदी आदि का पूरा विवरण संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ 15 दिनों के अन्दर जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ को उपलब्ध करायेगें। श्री आमोद शरण, प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ इसे सुनिश्चित करायेगें।

2. **<u>अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र</u>** :– सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि जिला अन्तर्गत 32 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि की आवश्यकता है। प्रत्येक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 12 कट्ठा जमीन की आवश्यकता है। सिविल सर्जन, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि सभी स्थलों की सूची अंचलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर खाता, खेसरा, रकवा, चौहदी आदि का विवरण संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ 15 दिनों के अन्दर सिविल सर्जन, पूर्णियाँ को उपलब्ध करायेगें। श्री आमोद शरण, प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ इसे सुनिश्चित करायेगें।

सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र हेतु 341 जगहों पर भूमि उपलब्ध कराई जानी है तथा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र हेतु 7 डिसमल जमीन की आवश्यकता है। सभी 341 स्थलों की सूची सभी अंचलाधिकारियों को तत्काल हस्तगत कराने का निदेश सिविल सर्जन को दिया गया।

सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर खाता, खेसरा, रकवा, चौहदी आदि का विवरण संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ 15 दिनों के अन्दर सिविल सर्जन, पूर्णियाँ को उपलब्ध करायेगें। श्री आमोद शरण, प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ इसे सुनिश्चित करायेगें।

3. **पंचायत सरकार भवन** :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 42 पंचायत सरकार भदन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है। एक पंचायत सरकार भवन हेतु कम से कम 50 डिसमल जमीन की आवश्यकता है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निदेशित किया गया कि सभी 42 कलस्टरों की सूची अंचलाधिकारियों को तत्काल हस्तगत करायें।

सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर खाता, खेसरा, रकवा, चौह्दी आदि का विवरण संबंधित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ 15 दिनों के अन्दर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ को उपलब्ध करायेगें। श्री आमोद शरण, प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ इसे सुनिश्चित करायेगें।

4. **बुनियाद केन्द्र** :– सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत सभी अनुमंडल मुख्यालय स्तर पर एक–एक बुनियाद केन्द्र का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए 65 x 90 फीट जमीन की आवश्यकता होगी। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि बुनियाद केन्द्र अनुमण्डल मुख्यालय में बनाया जाना है।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि बुनियाद केन्द्र हेतु उपयुक्त जमीन को चिन्हित कर नक्शा आदि के साथ स्पष्ट प्रतिवेदन सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णियाँ को उपलब्ध करायेंगें। श्री आमोद शरण, प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ इसे सुनिश्चित करायेगें।

5. **विद्यालय भवन**:– प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 69 प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है। एक विद्यालय भवन हेतु 20 डिसमल जमीन की आवश्यकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निदेशित किया गया कि सभी 69 स्थलों की सूची अंचलाधिकारियों को विशेष दूत के माध्यम से 2 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायें।

सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर खाता, खेसरा, रकवा, चौह्दी आदि का विवरण संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ 15 दिनों के अन्दर जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को उपलब्ध करायेगें। श्री आमोद शरण, प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ इसे सुनिश्चित करायेगें।

6. **आंगनबाड़ी केन्द्र** :– बैठक में बताया गया कि जिलान्तर्गत 853 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु जमीन की आवश्यकता है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु 3 डिसमल जमीन की आवश्यकता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निदेशित किया गया कि सभी 853 स्थल की सूची अंचलाधिकारियों को विशेष दूत के माध्यम से 2 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायें।

सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर खाता, खेसरा, रकवा, चौह्दी आदि का विवरण संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ 15 दिनों के अन्दर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ को उपलब्ध करायेगें। श्री आमोद शरण, प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ इसे सुनिश्चित करायेगें।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को निदेश है कि विभिन्न विभाग हेतु भूमि उपलबध कराने की कार्रवाई को प्राथमिकता देंगें । भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता विशेष रूप से इसकी समीक्षा करेंगें तथा ससमय जमीन की उपलब्धता सुनश्चित करायेंगें। पुनः इसकी अगली बैठक 21.09.14 को अपराह्न 5:00 बजे समाहरणालय सभा कक्ष में होगी जिसमें की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। उक्त बैठक में सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी के अलावे

सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सभी वांछित प्रगति प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेगें।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

समाहर्त्ता,

पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 2398 /रा0, पूर्णियाँ, दिनांक 2.9.14

प्रतिलिपि सभी अंचल अधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलपि सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी.एस.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सिविल सर्जन, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,

पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 2398 /रा0, पूर्णियाँ, दिनांक 2.9.14

प्रतिलिपि आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलपि सचिव, उर्जा विभाग–सह–प्रभारी सचिव, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,

पूर्णियाँ।